

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 228 (ई) दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 6 पर, "ग्रामीण, गरीब और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय सृजन गतिविधियाँ, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योग) को बढ़ावा देना और कम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करना" "सेवा-ग्रामीण (शिक्षा, कल्याण और कार्य-ग्रामीण सोसायटी), पोस्ट ऑफिस झगड़िया, जिला भरूच -393110" द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे अधिसूचना संख्या एसओ403(ई) दिनांक 6 जून, 1996 के तहत कर *वीडियो* निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; *वीडियो* जिसे अधिसूचना संख्या एसओ748(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 1999 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; *वीडियो* जिसे अधिसूचना संख्या एसओ986(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; *वीडियो* जिसे अधिसूचना संख्या एसओ508(ई) दिनांक 4 अप्रैल, 2006 के तहत वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए *वीडियो* आगे बढ़ाया गया था; 1297(ई) दिनांक 4 जून, 2008 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1383(ई) दिनांक 14.6.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ986(ई) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 द्वारा अनुमानित लागत 418.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 518.50 लाख रुपये कर दी गई थी, जिसमें 100.00 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि भी शामिल है और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ1383(ई) दिनांक 14.6.2011 द्वारा परियोजना लागत 518.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि भी शामिल है" से बढ़ाकर 918.45 लाख रुपये कर दी गई थी, जिसमें 205 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि भी शामिल है;

और चूँकि उक्त परियोजना या स्कीम अठारह वर्ष से अधिक अवधि तक विस्तारित होने की संभावना है;

और जबकि 205 लाख रुपये की आधारभूत निधि सहित परियोजना लागत 918.45 लाख रुपये को 205 लाख रुपये की आधारभूत निधि सहित 2297 लाख रुपये के रूप में संशोधित किये जाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 205 लाख रुपये की आधारभूत निधि सहित 918.45 लाख रुपये से संशोधित कर 205 लाख रुपये की आधारभूत निधि सहित 2297 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, (क) "ग्रामीण गरीबों और जनजातियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय सृजन गतिविधियाँ, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योग) को बढ़ावा देना और कम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करना" योजना या परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए "सेवा-ग्रामीण (शिक्षा, कल्याण और कार्य ग्रामीण

सोसायटी), पोस्ट ऑफिस झगड़िया, जिला भरूच -393110" द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है; और
(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एसओ228(ई) दिनांक 17 मार्च, 1994 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत अधिकतम लागत से संबंधित, क्रम संख्या 6 के सामने की तालिका में, कॉलम (4) में, "205 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि सहित 918.45 लाख रुपये" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "205 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि सहित 2297 लाख रुपये" अक्षर, आँकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

■ ■